भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
48, विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
निष्ठा भवन, मुंबई -400020.
टेल: (022) 22031508, फैक्स: (022) 22004693
Email: otxccotton@gmail.com
www.texmin.nic.in; www.txcindia.gov.in

सं.3/87/2013/रूई/ खंण्ड-III/111 दिनांक: 17 अक्तूबर, 2013.

<u>प्रेस नोट</u>

विषय: भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की 27 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ.786 (अ) के संबंध में स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रीयों, स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियों, जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास व्यापारियों, सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों द्वारा मासिक विवरण जमा करने के बारे में।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई ने स्वतंत्र जिनिंग फैक्ट्रीयों, स्वतंत्र प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों, कपास व्यापारियों, सर्जिकल कपास अथवा कपास वाडिंग विनिर्माण इकाईयों द्वारा मासिक विवरणी भरने के लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में वेब आधारित ऑनलाईन सिस्टम का विकास किया है। संबंधित इकाईयों / व्यापारी गणों को वस्त्र मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ.786 (अ) 27 फरवरी 2013, के संबंध में वस्त्र आयुक्त कार्यालय में उनका मासिक विवरण अगले महीने की 15 तारीख तक कार्यालय की **वेबसाईट http://www.txcindia.gov.in के तहत कपास के सांख्यिकी संग्रहण (कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकस ऑन कॉटन) शीर्षक के अंतर्गत और ऑन लाइन फाइलिंग ऑफ मंथली रिर्टन लिंक पर जाकर जमा करना है।**

मासिक विवरण जमा करने का उक्त सिस्टम दि. **17 अक्तूबर, 2013** से प्रारंभ होगा। मासिक विवरण के ऑन लाईन सिस्टम के शुरू होने के बाद सभी संबंधित इकाईयाँ/ व्यापारी गण उनका मासिक विवरण उनका युजर आय. डी. पासवर्ड लॉग करके जमा कर सकते है।

मासिक विवरण फार्म भरने संबंधी दिशा निर्देश कार्यालय की वेब साईट http:// www.txcindia.gov.in कपास के सांख्यिकी संग्रहण, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकस ऑन कॉटन शीर्षक के अंतर्गत ऑन लाईन मासिक विवरण फार्म भरने संबंधी दिशा निर्देश के लिंक के अधीन उपलब्ध है।

सभी संबंधित इकाईयाँ / व्यापारी जो उपरोक्त अधिसूचना के तहत वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। उनको मासिक विवरण जमा करने हेतु पंजीकृत करने संबंधी एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी / विवरण के लिए इकाईयाँ / व्यापारी गण संबंधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

(ओ. एम. प्रभाकरन)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रूई)